SM01

संख्या 321/15-7-95-161561/95

प्रेषक,

श्री अशोक गाँगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा ॥7॥ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 29 फरवरी, 1996

विषय:- श्री ठाकुरद्वारा बालिका विद्यालय जी0टी0रोड, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री ठाकुरद्वारा बालिका विद्यालय, जी0टी0रोड गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

॥1॥ विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

॥2॥ विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

॥3॥ विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

॥4॥ संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से / बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वत: समाप्त हो जायेगी ।

प्रबन्धक
श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय
हापुड़ तिराहा गाजियाबाद

151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि कर्मचारियों के लिए उपयुक्त सेवा नियमावली -सी०बी०एस०ई० ,नईदिल्ली की प्रदेश नियमावली के अनुसार बनाई जायेगी तथा ई०पी०एफ० योजना लागू कर शासन को छः मास के भीतर अवगत कराया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण" पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,
ह० -
(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।

पृ० सं०-जी 321/15-95(1)/15-7-96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
5- प्रबंधक, श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय, डी०टी०रोड, गाजियाबाद ।

आज्ञा से,
ह० -
(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।

प्रबन्धक
श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय
हापुड़ तिराहा गाजियाबाद